अन्तिम पर्चा–डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट–थालडका

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री भानीराम (आर0ए0एस0)

अनवान :–

1. मंगलचन्द पुत्र राधाकिशन जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1 गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति अग्रवाल साहेवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
2 किरणदेवी जोजा गोविन्दराम जाति अग्रवाल साहेवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
3 अशोक सोनी पुत्र संतलाल जाति सोनी साकिन मटोरिया गैरज के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 सांवरमल पुत्र बृजलाल जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

6. गीतादेवी पत्नी राधाकिशन जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन चक राजासर तहसील नोहर
7. सुभाष पुत्र राधाकिशन जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन चक राजासर तहसील नोहर ।
8. सुमित्रा पुत्री राधाकिशन जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन चक राजासर तहसील नोहर।
9 विमला पुत्री राधाकिशन जाति जांगिड ब्रहाम्ण साकिन चक राजासर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण।

राजस्व वाद संख्या 314 सन 2011 निर्णय दिनांक 17.5.17

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ भानीराम आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार नोहर की तजबीज तकसीम रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि अशोक सोनी पुत्र सन्तलाल जाति सोनी सा0 नोहर खातेदार के चक राजासर के ख0नं0 84/1 की 0.9170 है0 बारानी–। भूमि रहेगी। गीतादेवी पत्नी राधाकिशन, मंगलचन्द, सुभाष पि0 राधाकिशन, सुमित्रा, विमला पुत्रिया राधाकिशन बहिब कौम जांगीड ब्राहम्ण सा0 चक राजासर खातेदार के ख0नं0 84/2 की 0.9930 है0 बारानी–। भूमि रहेगी। सांवरमल पुत्र बृजलाल जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार के ख0नं0 84/3 की 0.063 है0 ख0नं0 256/3 की 0.3560 है0 कुल 0.4190 है0 बारानी प्रथम भूमि रहेगी। नैनसी पत्नी अमितकुमार कौम अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार चक राजासर के ख0नं0 256/2 की 0.1897 है0 बारानी प्रथम भूमि रहेगी। किरणदेवी पत्नी गोविन्दराम जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार ख0नं0 256/1 की 0.8950 है0 बारानी प्रथम भूमि रहेगी। गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति अग्रवाल सा0 नोहर के ख0नं0 256/4 की 1.1513 है0 बारानी प्रथम भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष अपना–2 वहन करेगें।

अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से राजस्व लोक अदालत में जारी की गयी।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत 2017
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर कैम्प थालडका